लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

विद्या परिषद बैठक की कार्यवाही

बुधवार, दिनांक 22.07.2020 समयः प्रातः 11:00

लखनऊ विश्वविद्यालय विद्या परिषद (01/2020) की ई–माध्यम द्वारा दिनांक 22.07.2020, दिन बुधवार को प्रातः 11:00 बजे सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने प्रतिभाग किया :–

1. प्रो0 आलोक कुमार राय, कुलपति	–अध्यक्ष
2. प्रो0 बृजेश कुमार शुक्ला, संकायाध्यक्ष, कला संकाय	–सदस्य
3. प्रो0 सी0पी0 सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	–सदस्य
4. प्रो0 तृप्ता त्रिवेदी, संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं शिक्षा संकाय	–सदस्य
5. श्री संजय मेधावी, विभागाध्यक्ष, व्यापार प्रशासन,नामिनी संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय	–सदस्य
6. श्री आलोक कुमार, संकायाध्यक्ष, कला एवं शिल्प संकाय	–सदस्य
7. डॉ0 नफाजत अली अंसारी,विभागाध्यक्ष, अनाटामी नामिनी संकायाध्यक्ष, यूनानी	–सदस्य
8. प्रो0 यू0एन0 द्विवेदी	–सदस्य
9. प्रो0 सोमेश कुमार शुक्ला	–सदस्य
10. प्रो0 सुधा अग्रवाल	–सदस्य
11. प्रो0 सुधीर मेहरोत्रा	–सदस्य
12. प्रो0 सुकान्त चौधरी	–सदस्य
13. प्रो0 सूरज बहादुर थापा	–सदस्य
14. प्रो0 विनोद गौर	–सदस्य
15. प्रो0 आर0पी0 सिंह	–सदस्य
16. प्रो0 विनोद कुमार शर्मा	–सदस्य
17. प्रो0 विवेक प्रसाद	–सदस्य
18. प्रो0 योगेन्द्र सिंह	–सदस्य
19. प्रो0 मुशीर हुसैन सिद्दीकि	–सदस्य
20. प्रो0 नवीन कुमार खरे	–सदस्य
21. प्रो0 आर0के0 वर्मा	–सदस्य
22. प्रो0 उदय प्रताप सिंह	–सदस्य
23. प्रो0 उमर कमालुद्दीन	–सदस्य
24. प्रो0 अब्दुल खलीक	–सदस्य
25. प्रो0 राकेश कुमार सिंह	–सदस्य
26. प्रो0 रश्मि कुमार	–सदस्य
27. प्रो0 राज कुमार सिंह	–सदस्य

28. प्रो0 राकेश कुमार सिंह —सदस्य
29. प्रो0 राजीव पाण्डेय —सदस्य
30. प्रो0 राजीव मनोहर —सदस्य
31. प्रो0 रामेश्वर बली —सदस्य
32. प्रो0 रानूपंत उनियाल —सदस्य
33. प्रो0 रश्मि रेखा —सदस्य
34. प्रो0 रीना अग्रवाल —सदस्य
35. प्रो0 आर0के0 मिश्रा —सदस्य
36. प्रो0 सरजीत सेन सरना —सदस्य
37. प्रो0 शशि शुक्ला —सदस्य
38. प्रो0 एस0के0 जायसवाल —सदस्य
39. प्रो0 दिनेश कुमार, —सदस्य
40. प्रो0 मधु सिंह, —सदस्य
41. प्रो0 आर0पी0 सिंह, —सदस्य
42. प्रो0 राम मिलन, —सदस्य
43. प्रो0 शीला मिश्रा, —सदस्य
44. प्रो0 विनोद सिंह, —सदस्य
45. प्रो0 अमिता कनौजिया —सदस्य
46. प्रो0 मोनिशा बनर्जी —सदस्य
47. प्रो0 नलिनी पाण्डेय —सदस्य
48. प्रो0 एन0के0 पाण्डेय —सदस्य
49. प्रो0 नीरज मिश्रा —सदस्य
50. प्रो0 गुरूनाम सिंह —सदस्य
51. प्रो0 निशि पाण्डेय —सदस्य
52. प्रो0 नुजहत लोखण्डे —सदस्य
53. प्रो0 ओंकार प्रसाद —सदस्य
54. प्रो0 पवन अग्रवाल —सदस्य
55. प्रो0 पूनम शर्मा —सदस्य
56. प्रो0 पूनम टण्डन —सदस्य
57. प्रो0 प्रशान्त श्रीवास्तव —सदस्य
58. प्रो0 गीता अस्थाना —सदस्य
59. प्रो0 के0 श्रीकुमार —सदस्य
60. प्रो0 के0के0 अग्रवाल —सदस्य
61. प्रो0 कमल कुमार —सदस्य
62. प्रो0 के0सी0 पाण्डेय —सदस्य
63. प्रो0 लीना सिन्हा —सदस्य
64. प्रो0 मनीषा गुप्ता —सदस्य
65. प्रो0 एम0 प्रियदर्शिनी —सदस्य

66. प्रो0 मधुरिमा लाल —सदस्य
67. प्रो0 मधुरिमा प्रधान —सदस्य
68. प्रो0 मनुका खन्ना, —सदस्य
69. प्रो0 मीना सहाय —सदस्य
70. प्रो0 मिथलेश वर्मा —सदस्य
71. प्रो0 डी0आर0 साहू —सदस्य
72. प्रो0 ध्रुवसेन सिंह —सदस्य
73. प्रो0 अनिल मिश्रा —सदस्य
74. प्रो0 अनूप कुमार भारतीय —सदस्य
75. प्रो0 अर्चना तिवारी —सदस्य
76. प्रो0 अरूण सेठी —सदस्य
77. प्रो0 अरविन्द अवस्थी —सदस्य
78. प्रो0 अरविन्द मोहन —सदस्य
79. प्रो0 अतुल प्रताप सिंह —सदस्य
80. प्रो0 अवधेश कुमार —सदस्य
81. प्रो0 बालक दास, —सदस्य
82. प्रो0 विमल जायसवाल —सदस्य
83. प्रो0 बृजेन्द्र सिंह —सदस्य
84. प्रो0 बंशी धर सिंह —सदस्य
85. प्रो0 विभूति राय —सदस्य
86. प्रो0 आभा बिस्नोई —सदस्य
87. प्रो0 अमिता बाजपेयी —सदस्य
88. प्रो0 अमृतेश चन्द्र शुक्ला —सदस्य
89. प्रो0 आनन्द कुमार विश्वकर्मा —सदस्य
90. प्रो0 आरिफ अय्यूबी —सदस्य
91. प्रो0 मो0 मजाहिर —सदस्य
92. प्रो0 राजेन्द्र प्रसाद —सदस्य
93. प्रो0 संजय गुप्ता —सदस्य
94. प्रो0 शमा महमूद —सदस्य
95. प्रो0 पियूश भार्गव —सदस्य
96. प्रो0 मनोज कुमार अग्रवाल —सदस्य
97. प्रो0 ओ0एन0 उपाध्याय —सदस्य
98. प्रो0 ए0के0 लाल —सदस्य
99. प्रो0 हिमॉशु सेन —सदस्य
100. प्रो0 नन्द लाल भारती —सदस्य
101. प्रो0 दिनेश कुमार सिंह —सदस्य
102. प्रो0 कमाल अहमद खान —सदस्य
103. प्रो0 आर0 एम0 नाईक —सदस्य

104. प्रो0 विवेक सहाय –सदस्य
105. प्रो0 ओंकार प्रसाद –सदस्य
106. प्रो0 अशोक कुमार सिंह –सदस्य
107. प्रो0 एस0पी0 त्रिवेदी –सदस्य
108. प्रो0 ए0एम0 सक्सेना –सदस्य
109. प्रो0 सिराजुद्दीन –सदस्य
110. प्रो0 सुधीर कुमार –सदस्य
111. प्रो0 संगीता रानी –सदस्य
112. प्रो0 रितेश कुमार सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय –सदस्य
113. प्रो0 संगीत रागी, दिल्ली विश्वविद्यालय –सदस्य
114. प्रो0 सरोज शर्मा, गुरूगोविन्द सिंह, इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय –सदस्य
115. डॉ0 शमा महमूद –सदस्य
116. डॉ0 श्रुति –सदस्य
117. डॉ0 कफील अहमद –सदस्य
118. डॉ0 शगुफ्ता –सदस्य
119. डॉ0 सोहेल अहमद –सदस्य
120. डॉ0 सैयद फजलुर्रहमान काजमी –सदस्य
121. डॉ0 अजय कुमार आर्या –सदस्य
122. डॉ0 मुकुल श्रीवास्तव विभागाध्यक्ष –सदस्य
123. डॉ0 अखलाक –सदस्य
124. डॉ0 अतायूल्ला खान –सदस्य
125. श्री वी0पी0 कौशल –सचिव/कुलसचिव

बैठक के आरम्भ में मा0 कुलपति/अध्यक्ष विद्या परिषद द्वारा समस्त मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया तथा मा0 सदस्यगणों प्रो0 रितेश कुमार सिंह, प्रो0 संगीत रागी, एवं प्रो0 सरोज शर्मा, ने भी अपने विचार व्यक्त किये। तत्पश्चात अध्यक्ष/कुलपति की अनुमति से कुलसचिव/सचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

कार्यसूची (01/2020)

विनिश्चय संख्या 01:–दिनांक 14.08.2019 को सम्पन्न विद्या परिषद की सामान्य बैठक का कार्यवृत्त विद्या परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

दिनांक 14.08.2019 को सम्पन्न विद्या परिषद की बैठक के कार्यवृत्त पर मा0 सदस्यों द्वारा सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 02:–दिनांक 05 दिसम्बर, 2019, 28 फरवरी, 2020 एवं दिनांक 16.07.2020 को सम्पन्न कला संकाय परिषद की बैठक की संस्तुतियॉ विद्या परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

संकायाध्यक्ष, कला संकाय द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2019, 28 फरवरी, 2020 एवं दिनांक 16 जुलाई, 2020 को सम्पन्न कला संकाय परिषद की बैठकों के कार्यवृत्त अनुमोदन हेतु मा0 परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किये गये। जिस पर मा0 सदस्यों द्वारा सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 03:– दिनांक 28, फरवरी 2020, दिनांक 19 मार्च, 2020, दिनांक 01.07.2020 एवं दिनांक 14 जुलाई, 2020 को सम्पन्न विज्ञान संकाय परिषद की सामान्य बैठक की संस्तुतियॉ विद्या परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय द्वारा दिनांक 28, फरवरी 2020, दिनांक 19 मार्च, 2020, दिनांक 01.07.2020 एवं दिनांक 14 जुलाई, 2020 को सम्पन्न विज्ञान संकाय परिषद की बैठकों के कार्यवृत्त अनुमोदन हेतु मा0 परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किये गये। मा0 सदस्यों द्वारा दिनांक 28.02.2020 एवं 19.03.2020 को सम्पन्न संकाय परिषद की बैठक के कतिपय बिन्दुओं पर चर्चा की गई, जिस पर परिषद द्वारा उन बिन्दुओं को लिपिकीय त्रुटि मानते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने के परामर्श के साथ एवं **Applied Geology** के पाठ्यक्रम को **ONGC Center** के साथ सहयुक्त होने के कारण उसके अतिरिक्त संकाय परिषद की बैठक दिनांक 28.02.2020, 19.03.2020, 01.07.2020 एवं 14.07.2020 की बैठकों की कार्यवृत्त को मा0 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 04:– दिनांक 19 दिसम्बर, 2019, दिनांक 28 फरवरी, 2020 एवं 06 मार्च, 2020 को सम्पन्न वाणिज्य संकाय परिषद की बैठकों की संस्तुतियॉ विद्या परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2019, दिनांक 28 फरवरी, 2020 एवं 06 मार्च, 2020 को सम्पन्न वाणिज्य संकाय परिषद की बैठकों के कार्यवृत्त अनुमोदन हेतु मा0 परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किये गये। जिस पर मा0 सदस्यों द्वारा सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 05:–दिनांक 28 फरवरी, 2020 को सम्पन्न विधि संकाय परिषद की बैठक की संस्तुतियॉ विद्या परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

संकायाध्यक्ष, विधि संकाय द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2020 को सम्पन्न विधि संकाय परिषद की बैठकों के कार्यवृत्त अनुमोदन हेतु मा0 परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किये गये। जिस पर मा0 सदस्यों द्वारा सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 06:–दिनांक 29 फरवरी, 2020, दिनांक 13 मार्च, 2020 एवं 16 जुलाई 2020 को सम्पन्न शिक्षा संकाय परिषद की सामान्य बैठकों की संस्तुतियॉ विद्या परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय द्वारा दिनांक 29 फरवरी, 2020, दिनांक 13 मार्च, 2020 एवं 16 जुलाई 2020 को सम्पन्न शिक्षा संकाय परिषद की बैठकों के कार्यवृत्त अनुमोदन हेतु मा0 परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किये गये। जिस पर मा0 सदस्यों द्वारा सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 07:– दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 एवं दिनांक 18 मार्च, 2020 को सम्पन्न यूनानी संकाय परिषद की बैठक की संस्तुतियॉ विद्या परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

संकायाध्यक्ष, यूनानी संकाय द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 एवं दिनांक 18 मार्च, 2020 को सम्पन्न यूनानी संकाय परिषद की बैठक के कार्यवृत्त अनुमोदन हेतु मा0 परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किये गये। जिस पर मा0 सदस्यों द्वारा सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 08:– दिनांक 24 फरवरी, 2020 को सम्पन्न कला एवं शिल्प महाविद्यालय की संकाय परिषद की बैठक की संस्तुतियॉ विद्या परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

संकायाध्यक्ष, कला एवं शिल्प महाविद्यालय द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2020 को सम्पन्न कला एंव शिल्प संकाय परिषद की बैठक के कार्यवृत्त अनुमोदन हेतु मा0 परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किये गये। जिस पर मा0 सदस्यों द्वारा सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 09:–दिनांक 29 फरवरी, 2019,दिनांक 10 जून, 2020 एवं दिनांक14.07.2020 को सम्पन्न अभियान्त्रिकी एवं टेक्नॉलोजी संकाय परिषद की बैठक की संस्तुतियॉ विद्या परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

दिनांक 29 फरवरी, 2019, दिनांक 10 जून, 2020 एवं दिनांक 14.07.2020 को सम्पन्न अभियान्त्रिकी एवं टेक्नॉलोजी संकाय परिषद बैठक के कार्यवृत्त पर मा0 सदस्यों द्वारा सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 10:– दिनांक 23 मई, 2020, दिनांक 03 जुलाई, 2020 एवं दिनांक 17 जुलाई, 2020 को सम्पन्न प्रबन्ध विज्ञान संस्थान (I.M.S) के Governing Board की बैठक की संस्तुति विद्या परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निदेशक, आई0एम0एस0 द्वारा दिनांक 23 मई, 2020, दिनांक 03 जुलाई, 2020 एवं दिनांक 17 जुलाई, 2020 को सम्पन्न प्रबन्ध विज्ञान संस्थान (**I.M.S**) के **Governing Board** की बैठक के कार्यवृत्त अनुमोदन हेतु मा0 परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गये। जिस पर मा0 सदस्यों द्वारा सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 11:– उत्तर प्रदेश स्टार्ट–अप–नीति–2020 के सम्बन्ध में विषेश सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, के पत्र संख्या 1136/सत्तर–3–2020 दिनांक 04, जून 2020 के क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय में स्टार्ट–अप–नीति–2020 लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विद्या परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत।

अधिष्ठाता, एकेडमिक द्वारा प्रस्तुत लखनऊ विश्वविद्यालय में स्टार्ट–अप–नीति–2020 लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण मा0 सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रस्ताव अनुमोदन हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर मा0 सदस्यों द्वारा व्यापक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 12:– लखनऊ विश्वविद्यालय का शोध अध्यादेश 2020 का प्रारूप विद्या परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

शोध अध्यादेश 2020 के प्रारूप पर मा0 सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित किये गये:–

- **5.1. Minimum Period for Compeletion will be 04 Year and Max. Period shall be 08 Years**
- **6.2. "Any person holding any administrative Position"-** is replaced with **Vice-Chancellor**

There will a Research Advisory Committee, which consists of:-

1- Chairman. - Supervisor

2- One Expert nominated by Supervisor.

3- One member Nominated by D.R.C.

The report of the committee will be presented before D.R.C. every six month for consideration In case of part time Ph.d it will be presented before DRC every 12 month.

- **6.07. Only DST - Inspire faculty/UGC Recharge faculty /Ramalingaswami PDF/Ramanujan PDF working in University and other research Institutions shall be eligible to be co-supervisers.**
- **7.3. it was resloved that there will be 6 days attendance in each semester for part time Ph.D Scholars. Part time Ph.D Scholars will have to clear course work exam as well.**

14. Delated

विद्या परिषद ने उपर्युक्त समस्त संशोधनों को स्वीकार करते हुए शोध अध्यादेश–2020 का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया एवं अध्यादेश में लिपिकीय/टंकण त्रुटियों के निवारण हेतु एक ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया जिससे दोषमुक्त अध्यादेश माननीया कुलाधिपति महोदया को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा सके।

विनिश्चय संख्या 13:– लखनऊ विश्वविद्यालय का Integrated Ph.D का प्रारूप विद्या परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

Integrated Ph.D प्रारूप पर विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुए इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

विनिश्चय संख्या 14:–लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न संस्थानों के अध्ययन मण्डल के गठन सम्बन्धी प्रारूप विद्या परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

इस संबंध में गठित समिति के अध्यक्ष प्रो0 बृजेश कुमार शुक्ला, संकायाध्यक्ष, कला संकाय द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न संस्थानों के अध्ययन मण्डल के गठन सम्बन्धी प्रारूप से मा0 परिषद को अवगत कराया गया तथा प्रस्ताव को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया गया, जिस पर मा0 सदस्यों द्वारा व्यापक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 15:–लखनऊ विश्वविद्यालय में Yoga and alternative medicine संकाय की व उसमे 02 विभागों की स्थापना तथा उसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों का प्रस्ताव एवं Yoga and alternative medicine संकाय परिषद की बैठक दिनांक 17.07.2020 की संस्तुतियॉ विद्या परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

लखनऊ विश्वविद्यालय में **Yoga and alternative medicine** संकाय की व उसमे 02 विभागों की स्थापना तथा उसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों के संबंध में मा0 सदस्यों को अवगत कराते हुए इस सम्बन्ध में **Yoga and alternative medicine** संकाय परिषद की बैठक दिनांक 17.07.2020 की संस्तुतियॉ मा0 सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रस्ताव अनुमोदन हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर मा0 सदस्यों द्वारा व्यापक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 16:–लखनऊ विश्वविद्यालय में E Content Guidelines का प्रस्ताव परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

अधिष्ठाता, एकेडमिक द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में **E Content Guidelines** संबंधी प्रस्ताव के संक्षिप्त सारांश से सदस्यों को अवगत कराया गया, जिस पर मा0 सदस्यों द्वारा व्यापक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 17:–डी0 लिट कमेटी की रिपोर्ट विद्या परिषद के सम्मुख विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

इस संबंध में गठित समिति के अध्यक्ष प्रो0 बृजेश कुमार शुक्ला, संकायाध्यक्ष, कला संकाय द्वारा समिति की आख्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी, जिस पर सदन ने सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदन प्रदान किया :–

1- **2-1(B) must have ten years of experience in Teaching, Research, Administration or as Professionals after obtaining Ph.D degree.**

2- **5.1 The candidate shall submit the thesis after two years from the date of registration and before the completion of four years. A Further period of one year extension may be obtained with the permission from the Vice-Chancellor.**

विनिश्चय संख्या 18:–दिनांक 12 अप्रैल, 2017 को सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक के विनिश्चय संख्या 20 के अर्न्तगत को–आर्डिनेटर/प्रोफेसर इंचार्ज, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय के पदनाम के स्थान पर अधिष्ठाता, एकेडमिक के प्रस्ताव के अनुसार संकायाध्यक्ष पदनाम किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विद्या परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

उक्त प्रस्ताव पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक (01/2020) के अन्य मद की कार्यसूची

विनिश्चय संख्या 01:–दिनांक 24 जून, 2020, को ONGC Centre For Advanced Studies (ONGC) के Governing Board की बैठक की संस्तुति विद्या परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

प्रो0 ध्रुवसेन सिंह द्वारा दिनांक 24 जून, 2020 को सम्पन्न **ONGC Centre For Advanced Studies (ONGC)** के **Governing Board** की बैठक की संस्तुति मा0 विद्या परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी, जिस पर व्यापक विचारोपरान्त सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक (01/2020) के अन्य मद की कार्यसूची

विनिश्चय संख्या 01:–लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रोन्नति एवं परीक्षा के संबंध में गठित समिति की संस्तुति विद्या परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

प्रकरण पर परीक्षा नियन्त्रक द्वारा विस्तृत आख्या विद्या परिषद के सम्मुख प्रस्तुत की गई तथा परिषद द्वारा प्रकरण पर व्यापक विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 02:–दिनांक 21.07.2020 को सम्पन्न वाणिज्य संकाय परिषद की आकस्मिक बैठक के कार्यवृत्त अनुमोदन हेतु मा0 परिषद के सम्मुख प्रस्तुत।

संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय ने सदन के समक्ष आकस्मिक बैठक की आवश्यकता व्यक्त करते हुये संकाय परिषद के निर्णय को अनुमोदित करने का अनुरोध किया, जिस पर सम्यक विचारोपरान्त सदन ने अनुमोदन प्रदान किया।

विनिश्चय संख्या 03:–Diploma in information and cyber security under mass communication in Science & Technology के संशोधित पाठ्यक्रम के संबंध में अध्ययन परिषद की बैठक दिनांक 15.06.2020 की कार्यवृत्त विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

प्रो0 ए0एम0 सक्सेना द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस परपर सम्यक विचारोपरान्त सदन ने अनुमोदन प्रदान किया।

विनिश्चय संख्या 04:–प्रो0 नवीन खरे द्वारा Ph.d प्रवेश हेतु 02 विद्यार्थियों के संबंध में प्रस्तुत आख्या पर विचार।

उक्त प्रकरण पर विस्तृत आख्या प्रो0 नवीन खरे द्वारा विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा परिषद द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 06 माह में संबंधित संस्था के साथ रसायन विज्ञान विभाग **MOU** सम्पादित करेगा तथा यदि ऐसा नही हो सका तो दोनो विद्यार्थियों के **Ph.d** में प्रवेश को निरस्त कर दिया जायेगा।

विनिश्चय संख्या 05:–सत्र 2019–20 में निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु के प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रकरण पर विचार।

इस बिन्दु पर विद्या परिषद को कला एवं शिल्प महाविद्यालय में सत्र 2019–20 में अध्यादेश में निर्धारित से अधिक आयु के प्रवेशित 07 विद्यार्थियों के संबंध में परिषद को अवगत कराया गया। जिस पर तत्कालीन कुलपति द्वारा माननीय राजभवन को दिनांक 30.12.2019 को प्रवेश की अनुमति हेतु पत्र प्रेषित किया गया। उक्त के प्रत्युत्तर में माननीय राजभवन के पत्र दिनांक 10 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकरण को विचार हेतु विश्वविद्यालय की विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

संकायाध्यक्ष, कला एवं शिल्प संकाय द्वारा उक्त प्रकरण पर परिषद से संबंधित प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रवेश अनुमत किये जाने का अनुरोध किया गया, जिससे उनकी परीक्षायें संपादित कराने के संबंध में कार्यवाही की जा सके।

परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त संबंधित विद्यार्थियों के सत्र 2019–20 में प्रवेश को अनुमोदन प्रदान किया।

- विद्या परिषद के सदस्यों के द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि **COVID**-19 के दृष्टिगत शोधग्रन्थ जमा करने की अवधि में 01 वर्ष की छूट प्रदान की जानी चाहिए। जिस पर चर्चा करते हुए परिषद ने सर्वसम्मति से मार्च 2020 से 01 वर्ष की अवधि तक की शिथिलता प्रदान की।

- विद्या परिषद के सदस्यों के प्रस्ताव पर विचार करते हुए परिषद ने मार्च 2020 तक सम्पादित अध्ययन परिषदों द्वारा **Ph.d** हेतु संस्तुत परीक्षकों की सूची को 06 माह तक के लिये मान्य करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया।

➢ **with reference to CBCS ordinance approved by different faculties Hon'ble Vice-Chancellor was authorized to prepare a comprehensive integrated ordinances for CBCS programmes, using inputs from the ordinances submitted by faculties.**

➢ **With reference to ordinances of Diploma & Certificate Programmes Hon'ble Vice-Chancellor was authorized to prepare integrated ordinances for Diploma and Certificate courses, using inputs from ordinances proposed by Departments/Institutions.**

तत्पश्चात् मा0 कुलपति जी द्वारा विद्या परिषद के समस्त सदस्यों एवं बैठक के सफल संचालन से जुड़े अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(वी0पी0 कौशल)
सचिव / कुलसचिव

(प्रो0 आलोक कुमार राय)
अध्यक्ष / कुलपति